राजेन्द्र बनाम भादरराम
प्रकरण संख्या 16/2021 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
09.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थी की खुद की पैदाकर्ता ना होकर पैतृक आराजी है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है अगर अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब होता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। इसलिये वाद के निस्तारण तक वाद भूमि को सरक्षिंत रखने हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी राजेन्द्र तथा जगदीश द्वारा एक दावा प्रकरण संख्या 199/2016 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट का माननीय न्यायालय में दिनांक 08.09.2016 को पेश किया जिस पर अप्रार्थी ने वर्ष 2016–17 में अपनी उक्त कृषि कृषि भूमि का विभाजन कर घरू बंटवारा में प्रार्थी राजेन्द्र व दावा के प्रतिवादी जगदीश व प्रतिवादीं मनिष को उनके हक हिस्सा अनुसार कृषि भुमि दे दी थी तथा दावा की प्रतिवादी गिरदावरी, सिलोचना, मानिका आदि ने अपने हिस्सा का त्याग कर दिया था। जिसकी डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पारित की गई थी। अप्रार्थी द्वारा अपने जीवनयापन व भरण पोषण हेतू मात्र प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 दर्ज 2.226 हैक्टेयर भूमि रखी थी। अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि को हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाकर अपना जीवनयापन करता हैं। अप्रार्थी अपने नाम कृषि भुमि का उपयोग उपभोग करने एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बैंक आदि के रहन रखने हेतू स्वंतत्र हैं। प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये उक्त दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं खारिज किये जाने के योग्य हैं। वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी भादरराम को जरिये डिक्री प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की भूमि पहले से ही प्रकरण संख्या 199/2016 अनवान राजेन्द्र आदि बनाम भादरराम आदि में हुए निर्णय दिनांक 21.01.2017 के द्वारा मिल चुकी है। अब वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि उसके हक हिस्सा की भूमि है। जिसको अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय [illegible] व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी [illegible] आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2021 [illegible] जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की [illegible] कर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by: Sanjay Kumar
Date: 2024.12.20 13:04:00 IST
Reason: SelfAttested